

## प्रारंभिक परीक्षा

### बड़े पैमाने पर धार्मिक अनुष्ठानों के पर्यावरणीय प्रभाव

#### संदर्भ

मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में हाल ही में संपन्न एक अनुष्ठान, जिसमें नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध अर्पित किया गया था, ने धार्मिक परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर राष्ट्रीय बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

#### जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर डेयरी अपशिष्ट का प्रभाव

यद्यपि सांस्कृतिक रूप से इसे "शुद्ध" माना जाता है, लेकिन नदी प्रणालियों में दूध जैसे कार्बनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर प्रवेश गंभीर पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न करता है:

- **जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD):** डेयरी उत्पादों में BOD का स्तर अत्यधिक उच्च होता है, जो अक्सर घरेलू सीवेज से भी अधिक होता है। सूक्ष्मजीव दूध को विघटित करने के लिए घुली हुई ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की तीव्र कमी हो जाती है।
- **हाइपोक्सिया और मछलियों की मृत्यु:** जैसे ही घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, जलीय जीवन (मछलियाँ और सूक्ष्म जीव) प्रभावी रूप से दम घुटने के कारण मरने लगते हैं।
- **यूट्रोफिकेशन (सुपोषण):** अर्पण की गई सामग्रियों से होने वाला पोषक तत्व संवर्धन शैवाल प्रस्फुटन (algal blooms) को सक्रिय कर सकता है, जो जल की गुणवत्ता को और खराब करता है तथा जलीय जैव विविधता के लिए आवश्यक प्रकाश प्रवेश को बाधित करता है।
- **सूक्ष्मजीवों का प्रसार:** कार्बनिक अर्पण सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को तेज करते हैं, जिससे नदी का संचयी प्रदूषण भार बढ़ जाता है।

#### भारत की नदियों की स्थिति: CPCB डेटा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का 2025 का मूल्यांकन नदी स्वास्थ्य की एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है:

- **प्रदूषित विस्तार:** 271 नदियों में 296 प्रदूषित विस्तारों (stretches) की पहचान की गई है।
- **BOD सीमा:** सुरक्षित स्नान सीमा के लिए BOD < 3 मिलीग्राम/लीटर होना आवश्यक है। इसके विपरीत, दिल्ली में यमुना के कुछ हिस्सों में यह स्तर 83 मिलीग्राम/लीटर (सीमा से 27 गुना अधिक) तक दर्ज किया गया है।
- **धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव:** छठ पूजा, दुर्गा पूजा और कुंभ मेले जैसे त्योहारों की निगरानी लगातार भारी धातुओं और ठोस कचरे में तीव्र वृद्धि दर्शाती है, जिससे कुछ विस्तार पारिस्थितिक रूप से "मृत" हो जाते हैं।

#### कानूनी और संवैधानिक ढांचा

अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष को कई कानूनी स्तंभों के माध्यम से विनियमित किया जाता है:

- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए की है।
- **एहतियाती सिद्धांत:** भारतीय पर्यावरण कानून का एक मुख्य सिद्धांत, जो अनिवार्य करता है कि राज्य को पर्यावरणीय क्षरण के कारणों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए।
- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** जल निकायों की "निर्मलता" बनाए रखने और बहाल करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **NGT के आदेश:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ऐतिहासिक रूप से मूर्ति विसर्जन और कचरा डंपिंग के मामलों में हस्तक्षेप किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि धार्मिक प्रथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा के अधीन है।

## पोइला बैसाख (POILA BAISAKH)

### संदर्भ

पोइला बैसाख, जो बंगाली सौर पंचांग (कैलेंडर) के पहले महीने (बैसाख) के पहले दिन को चिह्नित करता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है।

### पोइला बैसाख या पोइला बोइसाख का ऐतिहासिक विकास

- **मुगल संबंध (अकबर):** अधिकांश इतिहासकार मुगल सम्राट अकबर को इस पंचांग के औपचारिकीकरण का श्रेय देते हैं।
  - कर संग्रह को सुगम बनाने के लिए, अकबर ने इस्लामी चंद्र पंचांग (हिजरी) को हिंदू सौर पंचांग के साथ मिला दिया।
  - नए पंचांग, फसली सन, ने किसानों को वसंत ऋतु की फसल के बाद कर अदा करने की अनुमति दी, जिससे वित्तीय वर्ष फसल चक्र के साथ संरेखित हो गया।
- **विक्रमादित्य सिद्धांत:** कुछ परंपराएं इस पंचांग को राजा विक्रमादित्य से जोड़ती हैं, जो 57 ईसा पूर्व का है, और क्षेत्रीय सौर पंचांग प्रणाली में इसकी बहुत पुरानी जड़ों का संकेत देती हैं।
- **शशांक संबंध:** विचार की एक अन्य धारा इस पंचांग का श्रेय गौड़ साम्राज्य के 7वीं शताब्दी के राजा शशांक को देती है, जो उनके शासनकाल की शुरुआत का प्रतीक है।

### क्षेत्रीय प्रकार

क्षेत्र	उत्सव का नाम
पंजाब	बैसाखी
असम	बोहाग बिहू
केरल	विशु
तमिलनाडु	पुथंडु
ओडिशा	महा विषुव संक्रांति

## मेमरिस्टर (MEMRISTOR): मस्तिष्क-प्रेरित कंप्यूटिंग डिवाइस


### संदर्भ

- हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नया हैफनियम-आधारित मेमरिस्टर विकसित किया है जो AI ऊर्जा खपत को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है।

### मेमरिस्टर के बारे में

- **मेमरिस्टर (मेमोरी + रेसिस्टर)** एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रतिरोध बीते हुए करंट के आधार पर बदलता रहता है और बिजली बंद होने के बाद भी उसे "याद" रखता है, जिससे स्टोरेज और गणना एक साथ संभव हो पाती है।
- **निर्माण (संरचना):** आमतौर पर धातु-अचालक-धातु संरचना का उपयोग करके बनाया जाता है:
  - टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO<sub>2</sub>) या अन्य ऑक्साइड की पतली परत, जो दो धातु इलेक्ट्रोड के बीच सैंडविच की तरह होती है।
- **कार्य सिद्धांत:**
  - विद्युत प्रवाह उपकरण के आंतरिक प्रतिरोध को बदल देता है। प्रवाह हटने के बाद, यह इस प्रतिरोध को बनाए रखता है (मेमोरी प्रभाव)।
  - प्रतिरोध स्तर सिनैप्टिक वेट (डेटा का प्रतिनिधित्व) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - इस प्रकार इसमें **इन-मेमोरी कंप्यूटिंग** (एक ही स्थान पर प्रोसेसिंग + स्टोरेज) होती है।
- **दक्षता:** मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा स्थानांतरण को समाप्त करता है, जिससे ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है।

- उदाहरण के लिए, मस्तिष्क जैसी दक्षता, यानी लगभग 20 वाट ऊर्जा पर लगभग  $10^{14}$  ऑपरेशन/सेकंड, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली इससे सैकड़ों-हजारों गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है।



### मेमरिस्टर बनाम पारंपरिक कंप्यूटिंग

पहलू	मेमरिस्टर-आधारित संगणन	पारंपरिक संगणन (वॉन न्यूमैन)
मेमोरी एवं प्रोसेसिंग	एकीकृत (एक ही उपकरण भंडारण + संगणन करता है)	पृथक इकाइयाँ (CPU + मेमोरी → डेटा स्थानांतरण आवश्यक)
ऊर्जा दक्षता	उच्च (न्यूनतम डेटा संचलन → कम ऊर्जा खपत)	कम (मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा स्थानांतरण में अधिक ऊर्जा व्यय)
गति	एआई कार्यों के लिए तेज (समानांतर, इन-मेमोरी प्रोसेसिंग)	मेमोरी बॉटलनेक के कारण धीमी (डेटा स्थानांतरण विलंब)
आर्किटेक्चर	न्यूरोमॉर्फिक (मस्तिष्क-प्रेरित, सिनेप्स-सदृश उपकरण)	वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर (अनुक्रमिक प्रसंस्करण)

### पारंपरिक ऑक्साइड-आधारित मेमरिस्टर में समस्याएँ

- **फिलामेंट-आधारित अस्थिरता:** ऑक्साइड परत (जैसे  $TiO_2$ ) के अंदर प्रवाहकीय फिलामेंट निर्माण पर निर्भर करते हैं, जो यादृच्छिक और नियंत्रित करने में कठिन होता है, जिससे अविश्वसनीय स्विचिंग होती है।
  - फिलामेंट निर्माण से तात्पर्य वोल्टेज लागू होने पर मेमरिस्टर की इन्सुलेशन परत के अंदर एक छोटे प्रवाहकीय पथ (फिलामेंट) के निर्माण से है।
- **उच्च स्विचिंग ऊर्जा:** फिलामेंट निर्माण के लिए अपेक्षाकृत उच्च वोल्टेज/करंट की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र ऊर्जा खपत बढ़ जाती है।
- **आकस्मिक स्विचिंग व्यवहार:** बाइनरी (चालू/बंद) स्विचिंग प्रदर्शित करते हैं, जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक सटीक एनालॉग नियंत्रण को सीमित करता है।

### नया और उन्नत मेमरिस्टर (हैफनियम-आधारित)

- **डिजाइन में नवाचार:** अस्थिर फिलामेंट तंत्र के बजाय हैफनियम ऑक्साइड + टाइटेनियम ऑक्सीनाइट्राइड का उपयोग करके पी-एन जंक्शन (समायोज्य इलेक्ट्रॉनिक गेट के रूप में कार्य करता है) बनाता है।
- **बेहतर कार्यप्रणाली:** आयन गति के माध्यम से प्रतिरोध को नियंत्रित करता है (अचानक फिलामेंट निर्माण के बजाय सुचारू, पूर्वानुमानित स्विचिंग)।
- **दक्षता में वृद्धि:** स्विचिंग के लिए लगभग  $10^6$  गुना कम करंट की आवश्यकता होती है → एआई की ऊर्जा खपत में लगभग 70% की कमी।
- **औद्योगिक लाभ:** हैफनियम ऑक्साइड पहले से ही CMOS चिप में उपयोग किया जाता है → मौजूदा अर्धचालक निर्माण में आसान एकीकरण।
- **सीमाएँ:** उच्च निर्माण तापमान ( $\sim 700^\circ C$ ) और अभी भी पूर्ण मस्तिष्क की जटिलता से बहुत दूर है।

## मुख्य परीक्षा

### परिसीमन प्रक्रिया

#### संदर्भ

दक्षिणी राज्यों ने यह आशंका जताई है कि परिसीमन की प्रक्रिया संसद में उनके प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।  
परिसीमन प्रक्रिया के बारे में

- परिसीमन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित करना भी शामिल है।
- यह प्रक्रिया एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जाती है जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग (Boundary Commission) कहा जाता है।


#### परिसीमन आयोग का कानूनी और संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 82: संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को संशोधित करने की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 170: यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को भी पुनर्समायोजित किया जाना चाहिए।
- परिसीमन अधिनियम: जब भी परिसीमन की आवश्यकता होती है, इसे पारित किया जाता है और एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
- अब तक 1952, 1963, 1973 और 2004 में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। (UPSC प्रिलिम्स 2024)

#### संबंधित संवैधानिक संशोधन

- 42वां संशोधन (1976): जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 की जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को फ्रीज (यथास्थिति बनाए रखना) कर दिया गया।
- 84वां संशोधन (2002): लोकसभा और विधानसभा सीटों पर लगी इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया।

### TIMELINE OF DELIMITATION COMMISSIONS IN INDIA (1951-2026)



**परिसीमन आयोग की संरचना**

<b>नियुक्ति</b>	परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
<b>सदस्य</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त/कार्यरत न्यायाधीश (अध्यक्ष)</li> <li>● मुख्य निर्वाचन आयुक्त</li> <li>● संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त</li> </ul>

**परिसीमन प्रक्रिया का महत्व**

- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व:** परिसीमन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो। परिसीमन आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है ताकि प्रत्येक सीट समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे।
- **राजनीतिक असंतुलन को रोकना:** परिसीमन के बिना, कुछ क्षेत्रों में प्रति मतदाता अधिक सांसद हो सकते हैं, जिससे अन्य स्थानों पर कम प्रतिनिधित्व (under-representation) की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **SC और ST के लिए आरक्षण:** यह अभ्यास उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को भी नामित करता है जहाँ इन समुदायों की महत्वपूर्ण जनसंख्या है, जिससे उनका राजनीतिक समावेश सुनिश्चित होता है।
- **तटस्थ और स्वतंत्र प्रक्रिया:** यद्यपि इसे कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है, परिसीमन आयोग स्वायत्त रूप से कार्य करता है और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होता है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और इन्हें संसद या न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसकी निष्पक्षता की रक्षा करता है।
- **"एक वोट, एक मूल्य":** यह प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण में एकरूपता सुनिश्चित करके प्रत्येक वोट के समान महत्व के लोकतांत्रिक आदर्श को सुदृढ़ करती है।

**संबद्ध चुनौतियाँ**

- **राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण:** नया परिसीमन ढांचा 1971 की जनगणना पर आधारित पिछली रोक को हटाता है और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीट आवंटन को अनिवार्य बनाता है। अनुच्छेद 81(2)(a) के तहत, प्रतिनिधित्व को ऐतिहासिक संतुलन बनाए रखने के बजाय जनसंख्या की हिस्सेदारी को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- **सत्ता का क्षेत्रीय पुनर्वितरण:** सबसे महत्वपूर्ण लाभ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में केंद्रित हैं।
  - सामूहिक रूप से, लोकसभा में हिंदी हृदय स्थल (Hindi heartland) की हिस्सेदारी 38.1% से बढ़कर 43.1% होने का अनुमान है।
- **दक्षिणी और छोटे राज्यों की गिरावट:**
  - दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 24.3% से गिरकर 20.7% हो जाएगी।
  - उत्तर-पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी 4.4% से घटकर 3.8% रह जाएगी।
  - पूर्वी राज्यों में भी मामूली गिरावट देखी जाएगी।
- **जनसांख्यिकी बनाम विकास:** परिसीमन अभ्यास से उभरने वाला एक प्रमुख मुद्दा जनसंख्या के आकार और विकासात्मक प्रदर्शन के बीच तनाव है।
  - केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन में भारी निवेश किया है, अब उन्हें अपनी संसदीय हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों को लाभ होने की स्थिति है।
- **लोकसभा का विस्तार:** लोकसभा के आकार को बढ़ाकर 850 सीटें करने के व्यापक निहितार्थ हैं:
  - बड़े राज्यों को अतिरिक्त सीटों की संख्या में असंगत लाभ मिलता है।
  - राष्ट्रीय नीति-निर्माण कुछ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अधिक प्रभावित हो सकता है।

- जबकि विस्तार संख्यात्मक रूप से प्रतिनिधित्व में सुधार करता है, यह भौगोलिक रूप से राजनीतिक प्रभाव को केंद्रित करने का जोखिम भी पैदा करता है।
- **संघीय संतुलन पर प्रभाव:** यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के बीच संतुलन को बदल देता है:
  - लोकसभा काफी बड़ी हो जाएगी, जबकि राज्यसभा अपरिवर्तित रहेगी।
  - संयुक्त बैठकों में, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का संख्यात्मक दबदबा 2.2 गुना से बढ़कर लगभग 3.3 गुना हो जाएगा।
- **परिसीमन निर्णयों में लचीलापन:** प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन संसद को यह अधिकार देता है कि वह:
  - परिसीमन का समय तय करे।
  - यह चुने कि किस जनगणना डेटा का उपयोग करना है।
  - चूंकि इन निर्णयों के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए सत्तारूढ़ सरकार परिसीमन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त कर लेती है। यह प्रतिनिधित्व के संभावित राजनीतिकरण के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- **महिला आरक्षण के साथ जुड़ाव:** परिसीमन अभ्यास नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से निकटता से जुड़ा हुआ है।
  - यद्यपि यह लैंगिक समावेश की ओर एक प्रगतिशील कदम है, इसका मतलब यह भी है कि सीटों का क्षेत्रीय पुनर्वितरण और लैंगिक प्रतिनिधित्व एक साथ होगा, जिससे राजनीतिक बदलाव और जटिल हो जाएंगे।
- **संसदीय कामकाज पर प्रभाव:** एक बड़ी लोकसभा परिचालन चुनौतियां पेश करती है:
  - सीमित बैठक के दिनों (सालाना 70 से कम) के कारण व्यक्तिगत सांसदों के लिए बहस में भाग लेने के अवसर कम हो जाएंगे और प्रश्नों या चर्चाओं के लिए चुने जाने की संभावना कम हो जाएगी।
- **कार्यपालिका का विस्तार:** मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित है और 850 सीटों के साथ, परिषद का महत्वपूर्ण विस्तार हो सकता है, जिससे कार्यपालिका का आकार बढ़ जाएगा।

### परिसीमन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

#### तीन बड़े विधेयक पेश किए गए

- **संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026:** लोकसभा के विस्तार का प्रस्ताव करता है और अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन चाहता है।
- **परिसीमन विधेयक, 2026:** परिसीमन आयोग के लिए एक संशोधित ढांचा स्थापित करता है।
- **तीसरा विधेयक:** राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है।

#### प्रमुख प्रावधान

##### 1. लोकसभा का विस्तार: सीटों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 होना।

- राज्यों के लिए 815 सीटों तक।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 35 सीटें।
- यह प्रतिनिधित्व में ~50% की वृद्धि को दर्शाता है।
- यह नए संसद भवन की क्षमता के अनुरूप है।
- इससे भौगोलिक रूप से छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनने की संभावना है।

##### 2. महिला आरक्षण (लक्ष्य: 2029 चुनाव)

- यद्यपि 33% आरक्षण को पहले संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, इसका कार्यान्वयन जनगणना के बाद परिसीमन पर निर्भर था।
- 2021 की जनगणना में देरी के कारण, सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।

- इसका उद्देश्य 2029 के आम चुनावों से आरक्षण लागू करना है।

### 3. "जनसंख्या" की पुनर्व्याख्या (अनुच्छेद 81)

- "अंतिम जनगणना" के उपयोग से हटकर कानून के माध्यम से संसद द्वारा चुनी गई किसी भी जनगणना के उपयोग की ओर बदलाव।
- यह परिसीमन के आधार का निर्णय लेने में संसद को लचीलापन प्रदान करता है।

#### महिला आरक्षण बनाम परिसीमन

- **महिला आरक्षण नीति का विकास:** वर्तमान ढांचा पिछले प्रयासों से काफी भिन्न है और प्रत्यक्ष सशक्तिकरण से सशर्त सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जो नीति के मूल उद्देश्य को बदल देता है।
  - राज्यसभा द्वारा पारित 2010 के महिला आरक्षण विधेयक में बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल कार्यान्वयन का प्रस्ताव था।
  - नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 ने जनगणना और परिसीमन से जुड़े सशर्त कार्यान्वयन की शुरुआत की।
- **प्रतिनिधित्व में देरी:** 2024 के चुनावों के बाद संसद में महिला प्रतिनिधित्व 78 से घटकर 74 सांसदों पर आ गया।
  - राज्य विधानसभा चुनावों (2024-25) में, निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम थी।
- **तिहरा जुड़ाव समस्या (Triple Linkage Problem):** प्रस्तावित ढांचा तीन परस्पर जुड़ी शर्तें बनाता है:
  - जनगणना डेटा के आधार पर परिसीमन।
  - संसद में सीटों का विस्तार।
  - इन चरणों के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण।
- **पुराने जनगणना आंकड़ों के उपयोग पर चिंताएं:** परिसीमन विधेयक 2011 की जनगणना के उपयोग को अनिवार्य बनाता है, जबकि तब से महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं।
  - प्रतिनिधित्व वर्तमान जनसंख्या की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है और नई जनगणना कराने की तात्कालिकता को कम कर देता है।
- **SC/ST प्रतिनिधित्व पर प्रभाव:** परिसीमन उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के आधार पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निर्धारित करता है। इसका एक क्रमिक प्रभाव (cascading effect) पड़ता है, क्योंकि इन आरक्षित सीटों का एक-तिहाई हिस्सा SC/ST महिलाओं के लिए है, जिससे यह अन्याय और जटिल हो जाता है।
- **परिसीमन की राजनीतिक संवेदनशीलता:** महिला आरक्षण को ऐसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित प्रक्रिया से जोड़ना आगे की देरी और विवादों का जोखिम पैदा करता है।
  - उदाहरण: असम और जम्मू-कश्मीर में हाल के राज्य-स्तरीय अभ्यासों को सीमाओं के पुनर्निर्धारण में कथित पूर्वाग्रह के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
- **एक स्वतंत्र सुधार के रूप में महिला आरक्षण:** ऐतिहासिक रूप से, महिला आरक्षण को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र उपाय के रूप में देखा गया है, जिसके लिए सीमाओं के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और जो पहले से ही व्यापक संसदीय जांच से गुजर चुका है।

#### संतुलित परिसीमन के लिए समाधान

- **लोकसभा सीटों को सीमित करना:** अमेरिका की तरह सांसदों की संख्या को निश्चित रखने से राज्य-वार प्रतिनिधित्व में यथास्थिति बनी रहेगी और संघीय सिद्धांत का पालन होगा।
  - उदाहरण: यह राष्ट्रीय आम सहमति बनाने में मदद कर सकता है।
- **राज्य विधानसभा सीटों में वृद्धि:** लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राज्य विधानसभाओं में विधायकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- **भारत प्रतिनिधित्व मॉडल (Weighted Representation Model):** क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को उचित महत्व सुनिश्चित करने वाले फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है।
- **जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना:** जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, उन्हें सीट आवंटन में नुकसान नहीं होना चाहिए; उन्हें पुरस्कृत करने के तंत्र की खोज की जानी चाहिए।

- **आम सहमति आधारित निर्णय:** संतुलित और व्यापक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं को शामिल करने से क्षेत्रीय तनाव को रोकने में मदद मिल सकती है।
- **संसदीय बहस और समीक्षा:** नई सीट वितरण को अंतिम रूप देने से पहले संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और संघीय समानता दोनों पर विचार करते हुए संसद में गहन चर्चा आवश्यक है।
- **एक हाइब्रिड फॉर्मूला अपनाना:** एक संतुलित दृष्टिकोण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या, आर्थिक योगदान, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और भौगोलिक आकार जैसे कारकों को शामिल किया जा सकता है।
- **राज्यसभा में सुधार:** अधिक संतुलित राज्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके उच्च सदन को मजबूत करना लोकसभा में जनसंख्या-आधारित असमानताओं की भरपाई करने में मदद कर सकता है।
- **आरक्षण को परिसीमन से अलग करना:** महिला आरक्षण को परिसीमन से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है ताकि इसे एक विवादास्पद पुनर्वितरण प्रक्रिया से जोड़ने से बचा जा सके।

